न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 154/2016

A7

1. सरकार जरीये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

– – **प्रार्थी**

–:: बनाम ::–

1. श्री दलीप कुमार पुत्र रामकरण जाति कुम्हार साकिन 11 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– :: निर्णय ::– दिनांक :– 05.07.2017

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. का वाद अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम चक 17 एम.एल. के खाता संख्या 105/78 के मुरब्बा नम्बर 31 किला नम्बर 9/.253 हैक्टर भूमि खातेदार के नाम से कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है।

उक्त वर्णित खातेदारी भूमि का उपयोग कृषि कार्य में न होकर मौके पर मकान/प्लाट बनाकर अकृषि कार्य में किया जा रहा है,

उक्त वर्णित आराजी काबिले काश्त है, केवल मात्र कृषि कार्य के लिये दी गई है इसे बिना सक्षम अधिकारी से सम्परिवर्तन कराये/स्वीकृति प्राप्त किये अकृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अकृषि उपयोग में लेना गैर कानूनी है।

उक्त वर्णित रकबा के सम्बंध में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का 11 एन.एन.पी. अनुसार बिना स्वीकृति/सम्परिवर्तन कराये अकृषि उपयोग में किया जा रहा है। जो कानून की अवहेलना हैं, उक्त वर्णित रकबा से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर राज्य हित में अधिग्रहण करने के आदेश फरमाये जावे। वाद पत्र के साथ में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ने अपना शपथपत्र, सम्बन्धित पटवारी हल्का की रिपोर्ट, खसरा गिरदावरी एंव जमाबन्दी की प्रति सलंग्न की है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ नोटिस सूचित किया गया। प्रतिवादी की तलबी रिपोर्ट के अनुसार मौके पर आबाद नहीं होनें तथा पता के अभाव में तलबी नहीं होनें पर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के दौरान आयोजित शिविर ग्राम पंचायत 11 एल.एन.पी. में मजमे आम में पता करनें पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवादी की पता के सन्दर्भ में अनभिज्ञता जाहीर करनें पर समाचार पत्र के माध्यम से तलबी करवाये जानें के आदेश प्रदान करनें पर जरिये अखबार तलबी करवाई गई बाद तलबी प्राथी असालत/वकालतन उपथित नहीं होनें पर प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक 04.07.2017 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वाद पत्र में कोई प्रतिवादी नहीं होनें के कारण तनकीयात नहीं बनाई जाकर राज पैराकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली पत्रावली अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वाद पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत चक 17 एम.एल. के खाता संख्या 105/78 के मुरब्बा नम्बर 31 किला नम्बर 9/.253 हैक्टर को राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण कर बहक सरकार (सिवाय चक) घोषित की जाती है।

अतः उक्त अधिग्रहण शुदा भूमि के सम्बंध में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है, कि वे उक्त भूमि को अपने कब्जा में लेकर राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद रिपोर्ट तहसील दाखिल दफ्तर हो

आदेश आज दिंनाक 05.07.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)